

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2019/00373

मुकदमा नम्बर 197/2019

दायर दिनांक—17.10.2019

1. महेन्द्र सिंह पुत्र अखेसिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र अखेसिंह
3. दलीप सिंह पुत्र अखेसिंह
4. मदन सिंह पुत्र अखेसिंह
5. रोहिताश सिंह पुत्र अखेसिंह
6. भंवर कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी देवगांव नूआ तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

..... वादी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह
2. भंवरी कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह
3. बजरंगसिंह पुत्र प्रहलादसिंह पोत्र मूल सिंह
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह
5. उम्मेद कंवर पुत्री मूलसिंह
6. मनोज कंवर पुत्र मूलसिंह
7. सरोज कंवर पुत्री मूलसिंह
8. उम्मेद सिंह पुत्र मालु सिंह
9. मंगेज कंवर पत्नी मालु सिंह
10. प्रभुसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासीगण देवगांव नूआ तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
11. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगाल तहसील नवलगढ़
12. बैंक ऑफ बडौदा शाखा डाबदी बलौदा तहसील नवलगढ़
1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधज्ञा

प्रतिनिधित्व:-

- वकील वादी- श्री विपल्व पण्डित
प्रतिवादी 1लगा 3 – श्री चन्द्रकान्त शर्मा
प्रतिवादी 4 व 12 – एक पक्षीय
प्रतिवादी सं. 13-पैरो. राज.



उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू)

:-निर्णय:-

निर्णय दिनांक 23.01.2025

वाद वादी दिनांक 14/10/2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2024/5800 दिनांक 20/12/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
जिला- झुझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2019/00373

मुकदमा नम्बर 197/2019

दायर दिनांक-17.10.2019

1. महेन्द्र सिंह पुत्र अखेसिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र अखेसिंह
3. दलीप सिंह पुत्र अखेसिंह
4. मदन सिंह पुत्र अखेसिंह
5. रोहिताश सिंह पुत्र अखेसिंह
6. भंवर कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी देवगांव नूआ तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
..... वादी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह
2. भंवरी कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह
3. बजरंगसिंह पुत्र प्रहलादसिंह पोत्र मूल सिंह
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह
5. उम्मेद कंवर पुत्री मूलसिंह
6. मनोज कंवर पुत्र मूलसिंह
7. सरोज कंवर पुत्री मूलसिंह
8. उम्मेद सिंह पुत्र मालु सिंह
9. मंगेज कंवर पत्नी मालु सिंह
10. प्रभुसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासीगण देवगांव नूआ तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
11. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगाल तहसील नवलगढ
12. बैंक ऑफ बडौदा शाखा डाबदी बलौदा तहसील नवलगढ
13. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ, जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधज्ञा**(डिक्री)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 14/10/2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2024/5800 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुझुनू)

20/12/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 23 माह 01 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
नवलगढ़ (सुन्धर)

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	—	स्टाम्प अर्जी	—
महनताना वकील	—	महनताना वकील	—
खर्चा गवाहान	—	खर्चा गवाहान	—
फीस कमिश्नर	—	फीस कमिश्नर	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—